>

Title: *Problems faced by farmers in Jalaun Parliamentary Constituency, U.P. due to 'Loan Waiver Scheme'.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में पिछली बार से हम यहां इस ईश्यू को उठाते रहे कि यहां चार साल से सूखे की स्थिति थी, लेकिन अभी इस साल वहां इतनी वर्षा हुयी कि किसानों ने जो खरीफ की फसल बोई थी, वह सारी की सारी फसल नष्ट हो गयी। खरीफ की फसल के बाद अभी रबी की फसल बोने के लिए किसान तैयार हो रहा है, तो वहां उसे खाद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसान के ऋण में जो माफी दी गयी थी, वहां बैंकों के द्वारा उसे नोडयूज नहीं दिया जा रहा है। वहां को-आपरेटिव बैंकों के द्वारा उन्हें नोडयूज नहीं दिया जा रहा है। वहां किसानों को जानकारी नहीं हो पा रही है, इसलिए वे अपनी खाद को-आपरेटिव बैंक से नहीं ले पा रहे हैं और इधर-उधर भटक रहे हैं। पांच एकड़ भूमि के ऊपर जो किसान थे, उन्हें ऋण माफी के लिए तीन किस्तों सितंबर, दिसंबर और मार्च में पैसा जमा करने के लिए कहा गया था। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी डिमांड कहिए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, बेमौसम बरसात की वजह से उनकी सारी फसल नष्ट हो गयी है, जिससे वे सितंबर की अपनी किस्त जमा नहीं कर पाए। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि जो सितंबर माह में उन्हें ऋण माफी के लिए अपनी किस्त जमा करनी थी, जिसके बाद उन्हें पूरी ऋण माफी मिलेगी, उस सितंबर माह की किस्त को दिसंबर में जमा करने का निर्देश दिया जाए, जिससे वे किस्त जमा कर सकें। ...(व्यवधान) किसानों को जो खाद प्राप्त नहीं हो पा रही है, वह किसानों को प्राप्त हो सके। जिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसके लिए जांच करायी जाए। धन्यवाद।